(286)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

R 4387-I-16

प्र.क्र.

थोवन तनय नोना चमारी
निवासी ग्राम बेरखेडी टाडा तह. बीना
जिला सागर ....निगरानीकर्ता / आवेदक

विरूद्व

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर सागर जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र 239/अ–21/08–09 पारित आदेश दिनांक 27/1/09 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बेरखेडी टाडा स्थित भूमि खसरा क्र 251 रकवा 0.810 हे. आवेदक को पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसको भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए है। जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अपर कलेक्टर सागर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अपर कलेक्टर को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा

94251-71223
7000853503

R. 4387-II/16 जिला - सागर

28/8/17	आवेदक व अभिभावक को समय समय पर आवाज लगवाई, गई कोई उपस्थित नहीं आवेदक एवं आवेदक अभि० उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य